संख्या-101/2023/289/22-2-2023-17(207)/2023

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2023

विषय:-जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज यादव पुत्र श्री सोनेलाल, निवासी जनपद- हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-936/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022 दिनांक 10.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार मनोज यादव पुत्र श्री सोनेलाल, ग्राम-जलालपुर, थाना-बिलग्राम, जनपद-हरदोई का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 22.05.2005 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फिरौती हेतु 01 व्यक्ति को अपहरण कर घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-839/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-03, हरदोई के आदेश दिनांक 14.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 12.09.2016 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 28.08.2020 तक 15 वर्ष 02 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 05 माह 13 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 47 वर्ष होने, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज यादव (बन्दी संख्या-1766/07) पुत्र श्री सोनेलाल, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-101/2023/289(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री प्रदीप मिश्रा, ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-338/2022 मनोज यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-338/2022 मनोज यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।